कार्यकारी सारांश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2020 को, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 38 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों सहित राजस्थान राज्य में 45 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राजकीय उपक्रम) थे। यह प्रतिवेदन सभी 45 राजकीय उपक्रमों से संबंधित है।

राजकीय उपक्रमों में निवेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश (₹ 157588.59 करोड़) उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अन्तर्गत ₹ 14721.97 करोड़ की राशि के ऋण को समता पूँजी एवं सब्सिडी में परिवर्तित किए जाने के कारण थोड़ा कम हो गया था। कुल निवेश का प्रमुख हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित है, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक कुल निवेश (₹ 145323.58 करोड़) का 92.22 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों की पूँजी निवेश में ₹ 2095.54 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार ने समस्त पूँजी ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में अंशों के निर्गमन (₹ 1190.94 करोड़) एवं ऋण को पूंजी में परिवर्तन (₹ 905.50 करोड़) के माध्यम से निवेश की थी।

31 मार्च 2020 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था जिसे राज्य सरकार एवं इसके द्वारा नियंत्रित नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश किया गया था।

(अनुच्छेद 1.6, 1.7 एवं 1.16)

निवेश पर प्रतिफल

41 राजकीय उपक्रमों में से 25 राजकीय उपक्रमों ने 2019-20 में ₹ 3843.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसका 85.92 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र से, उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी के कारण, संबंधित है।

(अनुच्छेद 1.20 एवं 1.21)

वर्ष 2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों में से 13 राजकीय उपक्रमों ने ₹ 489.54 करोड़ की हानि वहन की।

(अनुच्छेद 1.24)

निवल मूल्य का क्षरण

41 राजकीय उपक्रमों में उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 51383.84 करोड़ एवं ₹ 94469.51 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.48 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय की घटाने के पश्चात ₹ 43148.15 करोड़ का ऋणात्मक निवल मूल्य था। 15 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य पूर्णतः क्षरण हो गया था क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों का पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33384.14 करोड़ एवं ₹ 93721.74 करोड़ था।

(अनुच्छेद 1.25)

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

सरकारी निवेश की ऐतिहासिक लागत (आरओआर) की तुलना में सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) का आंकलन करने हेतु 32 राजकीय उपक्रमों में, जिनमें राज्य सरकार ने पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया है, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना की गई थी। राज्य सरकार के निवेश का पीवी सब्सिडी रहित एवं उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी सहित क्रमशः ₹ 92767.49 करोड़ एवं ₹ 148093.09 करोड़ था, जबकि आरओआरआर क्रमशः 3.83 प्रतिशत तथा 2.40 प्रतिशत परिकलित की गई।

(अनुच्छेद 1.28)

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 42 राजकीय उपक्रमों (तीन सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 31 दिसंबर 2020 को या उससे पूर्व सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों सहित 30 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य एक कंपनी सहित 12 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 2.4)

30 राजकीय उपक्रमों, जिनके वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए थे, उनमें से 21 राजकीय उपक्रमों में पूरक लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, दो सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण भी प्राप्त हुए थे एवं इनकी भी पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

(अनुच्छेद 2.9)

पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कंपनी (राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड) ने वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे।

(अनुच्छेद 2.10)

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में अनियमिततायें एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की नहीं थी, के संबंध में 26 राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

(अनुच्छेद 2.14)

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जो परिसमापन के अधीन है के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सभी सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना यद्यपि आवश्यक थी परन्तु कुछ राजकीय उपक्रमों द्वारा अनुपालना नहीं की गई। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन पाये गये थेः

चार राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक संख्या से कम था जबकि 17 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.5)

दो राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी।

(अनुच्छेद 3.6)

मात्र 57 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति 100 प्रतिशत थी। साथ ही, दो राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग न लेकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था।

(अनुच्छेद 3.9-अ)

सात राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने साधारण सभा में भाग नहीं लिया था। साथ ही, बोर्ड समिति की अन्य बैठक यथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति एवं लेखापरीक्षा समिति में भी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अपर्याप्त रही थी।

(अनुच्छेद 3.9-ब एवं स)

13 राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2019-20 के दौरान पृथक से बैठकें नहीं कीं थी।

(अनुच्छेद 3.10)

16 राजकीय उपक्रम बीओडी की चार बैठकें आयोजित करने में विफल रहे जबकि चार राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक आयोजित

की। साथ ही, 15 राजकीय उपक्रमों में बीओडी की निरन्तर दो बैठकों के मध्य समयान्तराल 120/180 दिनों की निर्धारित समय सीमा के समक्ष 123 दिवस एवं 385 दिवसो के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 3.12)

एक राजकीय उपक्रम कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। साथ ही, 21 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त था क्योंकि वे बहुमत में नहीं थे ।

(अनुच्छेद 3.13 एवं 3.14)

चार राजकीय उपक्रमों में कोई व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था।

(अनुच्छेद 3.19)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार वर्ष 2019-20 में 20 राजकीय उपक्रमों को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता थी। इन 20 राजकीय उपक्रमों में से 16 राजकीय उपक्रमों को विस्तृत जांच के लिए चुना गया।

13 राजकीय उपक्रमों द्वारा किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 4.8)

एक राजकीय उपक्रम अर्थात राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने अपनी सीएसआर नीति तैयार नहीं की थी। साथ ही, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की गई सीएसआर नीति में क्रमशः निगरानी ढांचा एवं सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष के व्यवहार से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.9)

सात राजकीय उपक्रमों ने अपनी वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट को सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं कराया था।

(अनुच्छेद 4.10)

निधियों के कम आवंटन (आरएमएससीएल एवं आरआईएसएल) एवं अधिक आवंटन (आरएसजीएल) के प्रकरण थे।

मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग किया था, जबकि तीन राजकीय उपक्रमों ने आंशिक रूप से राशि का उपयोग किया था। साथ ही, सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधि की कोई राशि व्यय नहीं की थी।

(अनुच्छेद 4.11)

तीन राजकीय उपक्रमों ने पूर्व वर्ष की अग्रेनीत की गई अव्ययित राशि में से सीएसआर गतिविधियों पर आंशिक रूप से व्यय किया। साथ ही, पांच राजकीय उपक्रम अग्रेनीत की गई राशि मे से कोई भी व्यय करने मे असफल रहे।

(अनुच्छेद 4.12)

तीन राजकीय उपक्रमों (आरएसजीएल, रीको एवं आरआईएसएल) ने सीएसआर के लेखांकन हेतु मार्गदर्शन नोट का उल्लंघन करते हुए अव्ययित राशि का प्रावधान किया।

(अनुच्छेद 4.13)

2019-20 के दौरान, नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹ 1346.88 लाख था। आरआरवीपीएनएल शीर्ष व्ययकर्ता था व उसके बाद आरआरवीयूएनएल, आरएसएमएमएल एवं आरएसजीएसएमएल थे।

(अनुच्छेद 4.15)

आरएसजीएसएमएल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सीएसआर के पेटे राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में क्रमशः ₹ 93.93 लाख एवं ₹ 96.80 लाख की राशि हस्तांतरित की थी जो अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन सीएसआर गतिविधियों एवं सामान्य परिपत्र दिनांक 10 अप्रैल 2020 द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार पात्र नहीं थी

(अनुच्छेद 4.22)

सीएसआर व्यय के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा एवं उसके बाद शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

(अनुच्छेद 4.24)

राजकीय उपक्रमों द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 की अनुपालना

राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (अधिनियम) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (नियम) को क्रमशः अप्रैल 2012 एवं जनवरी 2013 में अधिसूचित किया। अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के लागू होने/अधिसूचित करने के बाद समस्त राजकीय उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक सार्वजनिक प्रापण उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है। आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की जांच 37 राजकीय उपक्रमों में की गई थी

एवं वर्ष के दौरान प्रावधानो की अनुपालना नहीं किए जाने के महत्वपूर्ण प्रकरणों/मामलों को, जो ध्यान मे आये, वह निम्न प्रकार थेः

37 राजकीय उपक्रमों में से 28 राजकीय उपक्रम, जिनमें विभिन्न स्थायी समितियाँ गठित की गई थी, नियम प्रावधानों का पूर्णतया पालन करने में विफल रहे। साथ ही, आठ राजकीय उपक्रमों में (जहां स्थायी समितियाँ गठित की गई थी) में वरिष्ठतम लेखा अधिकारी अथवा पदधारी को समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक राजकीय उपक्रम (आरएसडब्ल्यूसी) वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.7)

समस्त 37 राजकीय उपक्रम द्वारा प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को विकसित नहीं किया गया था। जिसके अभाव में सभी 37 राजकीय उपक्रम संविदाओं के निष्पादन, विलंब इत्यादि सहित विभिन्न मापदंडों के निष्पादन को ट्रैक करने की स्थिति में नहीं थे।

(अनुच्छेद 5.8)

37 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरआरवीपीएनएल) में संबंधित प्रशासनिक विभाग ने बोली पर निर्णय लेने हेतु समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया था।

(अनुच्छेद 5.10)